[1][प्ररूप संख्या 8क

[नियम 16 देखें]

……….. उच्च न्यायालय अथवा

आयकर अपील अधिकरण .... में

(जो लागू न हो उसे काट दें)

1.	अपीलार्थी की व्यक्तिगत जानकारी	अपीलार्थी का नाम/पदनाम (जैसा लागू हो)			
		नोटिस भेजने का पूरा पता			
		राज्य			
		पिन कोड			
		एसटीडी कोड के साथ फोन नंबर/मोबाइल नंबर।			
		ईमेल पता			
2.	प्रतिवादी की व्यक्तिगत जानकारी	प्रतिवादी का नाम/पदनाम (जैसा लागू हो)			
		पैन (यदि उपलब्ध हो)			
		टैन (यदि उपलब्ध हो)			
		नोटिस भेजने का पूरा पता			
		राज्य			
		पिन कोड			
		एसटीडी कोड के साथ फोन नंबर/मोबाइल नंबर।			
		ईमेल पता (यदि उपलब्ध हो)			
3.	मामले का विवरण	(क)	निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में अपील को स्थगित किया गया है		
		(ख)	मद (क) मे निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा घोषित कुल आय		
		(ग)	उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील स्थगित की गई है		
			(i)	धारा और उपधारा जिसके अधीन आदेश पारित किया जाता है	
			(ii)	आदेश की तारीख	
			(iii)	सेवा की तारीख या आदेश की संसूचना	
		(घ)	आयकर प्राधिकरण या अपील प्राधिकारण आदेश पारित कर रहा है जिसके विरुद्ध अपील स्थगित कर दी गई है		
		(ङ)	वह राज्य और जिला जिसमें क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी		

			स्थित है		
		(च)	धारा और उपधारा जिसके अधीन मूल आदेश पारित किया ज ाता है		
4.	विधि का प्रश्न जिनके लिए अपील आस्थगित है		विधि का प्रश्न	अधिनियम की सुसंगत धारा और उपधारा	
		(क)			
		(ख)			
		(ग)			
		कुल कर प्रभाव			
5.	अन्य मामले/मामलों का विवरण जिसके आधार पर अपील स्थगित की जाती है	(क)	निर्धारिती का नाम		
		(ख)	न्यायालय जिसके समक्ष अन्य मामले में अपील लंबित है		
		(ग)	दूसरे मामले में विधि का प्रश्न जिसके आधार पर तत्काल मामले में अपील स्थगित कर दी जाती है:-		
			(क)		
			(ख)		
			(ग)		
6.	धारा 158कख की उप-धारा (2) के अनुसार आवेदन फाइल करने की नियत तारीख				

स्पष्टीकरण : इस नियम और प्ररूप संख्या 8क के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत मामला" और "अन्य मामला" शब्दों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 158कख में उनके लिए दिया गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

(क) .... निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में उठाए गए मद 4 में उल्लिखित विधि के प्रश्न (प्रश्नों), निम्नलिखित में उत्पन्न होने वाले विधि के प्रश्न के समान है/हैं:-

क. .... निर्धारण वर्ष के लिए उनका मामला

ख. .... निर्धारण वर्ष के लिए .... मामला

(ख) प्रश्न धारा 260क के अधीन क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय या धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय में किसी अपील में या ऊपर 5 में यथाउल्लिखित किसी अपील अधिकरण/क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन एक विशेष अनुमति याचिका में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं;

(ग) मद 4 में उल्लिखित विधि के प्रश्नों पर अपील, अधिनियम की धारा 158कख की उपधारा (4) के उपबंध के अनुसार फाइल की जाएगी।

हस्ताक्षरित

(अपीलार्थी)

नाम : ....

पद : ....

सत्यापन का प्ररूप

मैं ...., अपीलार्थी, घोषित करता हूं कि ऊपर जो कथन किया गया है वह मेरी जानकारी और विश्वास से सर्वोत्तम सत्य है।

स्थान : ....   हस्ताक्षर : ....

तारीख : ....   नाम : ....

पद : ....

टिप्पणियाँ :

यदि उपलब्ध कराया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए पृथकतया अनुलग्नक का उपयोग किया जा सकता है।**]**

---

1. आय-कर (बाईसवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा **12.7.2022** से अंतःस्थापित।